

“मात्स्यकी निदेशालय, हिमाचल प्रदेश”

कमांक:फिश:बी(2)22/85(ई0)- 32/2018 दिनांक :- 02/1/2018

“कार्यालय आदेश”

मात्स्यकी विभाग, हिमाचल प्रदेश की विभागीय पदोन्नति समिति के अभिस्ताव पर श्रीमति तृप्ता देवी, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य पौगडैम, जिला कांगड़ा को वरिष्ठ सहायक (अराजपत्रित श्रेणी-III, वेतनमान पे-बैंड 10300-34800, ग्रेड-पे 4400) के पद पर पदोन्नत करके कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य पौगडैम, जिला कांगड़ा में नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति वरिष्ठ सहायक के पद पर पद ग्रहण की तिथि से मान्य होगी। कर्मचारी को एक माह के भीतर-2 पदोन्नत पद ग्रहण करना होगा अन्यथा यह पदोन्नति आदेश रद्द समझा जाएगा।


श्रीमति तृप्ता देवी, कनिष्ठ सहायक को पदोन्नती पर पद ग्रहण की तिथि के एक माह के भीतर-2 मूल नियम 22(1)ए(1) के अन्तर्गत वरिष्ठ सहायक के वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा, जिसे बाद में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

उक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय हि0प्र0 द्वारा CWP No. 9645/2012:: Sarla Negi Vs State of HP में दिये जाने वाले निर्णय अनुसार प्रभावित होगी।


(सतपाल मैहता)
निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य,
हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर
दूरभाष न0 01978-224068
ई-मेल- fisheries-hp@nic.in

पृष्ठांकन:संख्या:उपरोक्त: M/0-22 दिनांक :- 01/2/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित है :-

1. कार्यालय आदेश नरित।
2. समस्त उप/सहायक निदेशक मत्स्य, हिमाचल प्रदेश को इन निर्देशों के सूचनार्थ पृष्ठांकित है कि सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी यथाशीघ्र आगामी आवश्यक कार्यवाई करें व उक्त कर्मचारी की पदोन्नत पद पर उपस्थिति सूचना तुरन्त इस निदेशालय को भेजें।
4. उक्त कर्मचारी/उसकी निजी नरित हेतु।


(सतपाल मैहता)
निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य,
हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर
दूरभाष न0 01978-224068
ई-मेल- fisheries-hp@nic.in